Dainik Jagran
Pradarshano ko hawa de rahe hai private hospital
Date: 10/08/2013 | Edition: Delhi | Page: 15 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 10 H: 15
Clip: 1 of 1

प्रदर्शनों को हवा दे रहे निजी अस्पताल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गांवों में एक साल की अनिवार्य तैनाती के खिलाफ डॉक्टरों के प्रदर्शन को निजी अस्पताल खुल कर हवा दे रहे हैं। इन दिनों एमबीबीएस डॉक्टर देश भर में 'सेव द डॉक्टर' अभियान के जरिये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, ये गांवों की पोस्टिंग का सीधा विरोध करने के बजाय स्नातकोत्तर (पीजी) की सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पीजी की सीटें बढ़ाना सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं। मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने पिछले दिनों नियमों में सुधार कर निजी अस्पतालों को भी मेडिकल कॉलेज चलाने का अधिकार दे दिया है। विरोध प्रदर्शन से जुड़े डॉक्टर भी मानते हैं कि यह अभियान शहरों के बड़े निजी अस्पतालों के संगठन 'एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया' (एएचपीआइ) की मदद से चलाया जा रहा है। अपने आंदोलन के पक्ष में ये तमाम तरह के आंकड़े और तर्क रख रहे हैं। ये बताते हैं कि देश में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर कितनी ज्यादा है। इसलिए स्नातकोत्तर (पीजी) की सीटें बढ़ाए जाने की जरूरत है, जबकि वास्तविकता यह है कि मूलभूत स्वास्थ्य सेवा सामान्य एमबीबीएस डॉक्टर भी उपलब्ध करा सकता है। गांवों में सामान्य डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं होने से ऐसी मौतें होती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि गांवों के स्वास्थ्य ढांचे की बुरी हालत और डॉक्टरों के रवैये को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में अनिवार्य तैनाती का कदम उठाया गया, लेकिन वे एक साल के लिए भी गांव जाने को तैयार नहीं हैं। बड़े निजी अस्पतालों के प्रबंधन भी इन्हें भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पीजी की सीटें बढ़ाने की मांग पर सूत्र कहते हैं कि इस मांग का विरोध कौन कर सकता है। खुद मंत्रालय इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है। निजी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाजत दिए भी कई साल हो चुके हैं। इसके लिए आगे आने के बजाय ये सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि देश में हर साल 40 हजार डॉक्टर एमबीबीएस पूरा करते हैं। वहीं गांवों में डॉक्टरों के महज 2,866 पद ही खाली हैं। ऐसे में बाकी डॉक्टरों को वर्षों इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इस तर्क को पूरी तरह गलत बताते हुए कहता है कि गांवों में काम करने के लिए जितने भी डॉक्टर तैयार होंगे, उन सभी को काम मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सिर्फ स्वीकृत पदों पर स्थायी नियुक्ति करने के बजाय एक साल के लिए कांट्रेक्ट पर रखने में कोई समस्या नहीं है।